अध्याय 7: विद्युत की चोरी तथा अनधिकृत उपयोग

7.1 विद्युत का अनधिकृत उपयोग (यू.यू.ई.)

(1) अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा 126 के अनुसार विभिन्न जिलों/खण्डों के निर्धारण अधिकारियों की एक सूची प्रकाशित करेगा, इसको सभी खण्डीय कार्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा तथा ऐसे अधिकारियों को जारी फोटो पहचान पत्र में उनका अधिकृत होना इंगित करेगा।

(2) किसी भी स्थान या परिसर का निरीक्षण करते समय, अनुज्ञापी का निरीक्षण दल/निर्धारण अधिकारी अपने साथ फोटो पहचान पत्र ले जाएगा। परिसर में प्रवेश करने से पहले उपभोक्ता को फोटो पहचान पत्र दिखाया जाना चाहिए।

(3) जहां तक संभव हो स्थल के पूरे निरीक्षण की फोटो ग्राफी तथा/या वीडियो ग्राफी की जाएगी तथा साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा।

7.1.1 विद्युत के अनधिकृत उपयोग के आंकलन की प्रक्रिया

(1) यदि किसी स्थान या परिसर के निरीक्षण करने पर उपकरण, गैजेट्स, मशीनों, संयोजित यंत्र का उपयोग किया जाना पाया जाए अथवा किसी व्यक्ति द्वारा संभारित अभिलेख के निरीक्षण के बाद, निरीक्षण टीम (अनुज्ञापी के एक अधिकारी के नेतृत्व में जो सहायक अभियंता/उप खण्डीय अधिकारी के पदक्रम से नीचे का न हो) यह निष्कर्ष निकालती है कि ऐसा व्यक्ति विद्युत के अनधिकृत उपयोग में संलिप्त है, तो निरीक्षण टीम साईट निरीक्षण के आधार पर अनुलग्नक–XI में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें संयोजित भार, सीलों की स्थिति, मीटर का कार्य करना तथा देखी गयी अन्य अनियमितता (जैसे कि अनधिकृत उपयोग के लिए अपनाये गये कृत्रिम साधन) का उल्लेख होगा।

(2) रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग के तथ्य को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य पाया गया या नहीं। ऐसे साक्ष्य का विवरण रिपोर्ट में अभिलिखित किया जाना चाहिए।

(3) रिपोर्ट पर निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उचित रसीद प्राप्त कर इसकी प्रति तत्काल स्थल पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को दी जाएगी। यदि उपभोक्ता स्वीकार करने या रसीद देने से इन्कार करता है तो निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति, परिसर के अंदर/बाहर एक प्रमुख स्थान पर चिपका दी जाए तथा उसका फोटाग्राफ ले लिया जाए। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर/ई–मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपभोक्ता को प्रेषित की जाएगी।

(4) निरीक्षण दल, एक कार्य दिवस के अन्दर रिपोर्ट की एक प्रति निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि निर्धारण अधिकारी को संदेह होता है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो वह निरीक्षण की तिथि से 7 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एक

अनंतिम निर्धारण आदेश हाथों–हाथ/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर/ई–मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करेगा। अनंतिम निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी का विवरण, जिसे उत्तर/आपत्तियॉ सम्बोधित की जानी होंगी तथा समय, तिथि तथा स्थान जिस पर उपभोक्ता की आपत्तियों, यदि कोई हो, की सुनवाई की जानी हो, होना चाहिए।

(6) कोई भी व्यक्ति जिसे अनंतिम निर्धारण आदेश प्रेषित किया गया है, को चाहिए कि:

(a) ऐसे निर्धारण को स्वीकार करे तथा इस अनंतिम निर्धारण आदेश के प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर निर्धारित राशि अनुज्ञापी के पास जमा करे, या

(b) निर्धारण अधिकारी के समक्ष सुनवाई की तिथि पर एक लिखित आपत्ति प्रस्तुत करे, या

(c) अनंतिम निर्धारण आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ एक लिखित आपत्ति, रुपये 500 के निरीक्षण शुल्क सहित स्थल का दूसरा निरीक्षण करने के अनुरोध के साथ, प्रस्तुत करे।

(7) निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता के अनुरोध पर उपभोक्ता के परिसर का दूसरा निरीक्षण करेगा, बशर्ते उसने अनुरोध की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर निरीक्षण शुल्क जमा किया हो।

(8) निर्धारण अधिकारी, उपभोक्ता के अनुरोध पर सभी दस्तावेजों, उपभोक्ता के प्रस्तुतिकरणों, अभिलेखों के तथ्यों तथा दूसरे निरीक्षण पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात अनंतिम निर्धारण आदेश की तिथि से तीस दिवसों के भीतर, सुस्पष्ट अंतिम आदेश पारित करेगा कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग का मामला स्थापित हुआ है या नहीं।

(9) विद्युत का अनधिकृत उपयोग स्थापित नहीं होने की स्थिति में, आगे की कार्यवाही बंद कर दी जाएगी तथा विद्युत का अनधिकृत उपयोग के मामले को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

(10) जहां यह स्थापित हो जाता है कि मामला विद्युत के अनधिकृत उपयोग का है, अनुज्ञापी तत्काल विद्युत के अनधिकृत उपयोग के कारण को सुधारने के लिए उचित कार्यवाही करेगा तथा संपूर्ण अवधि जिसके दौरान विद्युत का अनधिकृत उपयोग हुआ है, के लिए **अनुलग्नक–XII** में दिए गए निर्धारण फॉर्मूले के अनुसार ऊर्जा के उपभोग का आंकलन करेगा। यदि यह कि जिस अवधि में विद्युत का अनधिकृत उपयोग हुआ है, उसका पता नहीं लगाया जा सकता है तो यह अवधि, निरीक्षण की तिथि से पहले बारह महीने की अवधि तक सीमित होगी तथा अंतिम निर्धारण बिल लागू टैरिफ के अनुसार दुगनी दरों पर तैयार किया जाएगा तथा इसे सुस्पष्ट आदेश के साथ उपभोक्ता को हाथों हाथ/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर/ई–मेल या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उचित रसीद के साथ प्रेषित किया जायेगा। उपभोक्ता को अंतिम निर्धारण बिल प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों के भीतर इसका भुगतान करना होगा। अनुज्ञापी उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है या किश्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है। राशि, विस्तारित अंतिम तिथि व/या भुगतान/किश्तों की तालिका, कारण बताते हुए आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।

अंतिम सुस्पष्ट आदेश की प्रतिलिपि हाथों हाथ/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर/ई–मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उचित रसीद प्राप्त कर उपभोक्ता को भी दी जाएगी।

परन्तु जहां यह स्थापित हो जाता है कि मामला स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु विद्युत के अनधिकृत उपयोग का है, अनुज्ञापी तत्काल विद्युत के अनधिकृत उपयोग के संपूर्ण अवधि जिसके दौरान विद्युत का अनधिकृत उपयोग हुआ है, अनुज्ञापी सही मीटर द्वारा रिकार्ड खपत के आधार पर वास्तविक धनराशि का आंकलन कर बिल तैयार करेगा तथा जहां ऐसी अवधि का पता नहीं लगाया जा सकता है, वह अवधि निरीक्षण की तिथि से ठीक बारह माह पहले तक सीमित होगी। उपरोक्त ऊर्जा खपत को केवल तभी माना जाएगा जब मीटरिंग प्रणाली स्वस्थ होगी, अन्यथा ऊर्जा की खपत की गणना **अनुलग्नक–XII** में दिए गए फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी।

(11) सुस्पष्ट अंतिम आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का सार, उपभोक्ता द्वारा दिया गया लिखित प्रत्युत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिया मौखिक साक्ष्य, यदि कोई हो या स्वीकृति या अस्वीकृति के कारण का संक्षिप्त विवरण भी शामिल होगा।

7.1.2 विविध

(1) विद्युत के अनधिकृत उपयोग के आधार पर लगाए गये प्रभार तब तक जारी रहेगें जब तक अनुज्ञापी द्वारा उक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्युत के अनधिकृत उपयोग के कारणों को हटा या सत्यापित नहीं कर लिया जाता है।

(2) यदि उपभोक्ता, अनुज्ञापी के अंतिम निणर्य से व्यथित है तो वह अधिनियम की धारा 127 के प्रावधानों तथा उविनिआ (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने हेतु प्रक्रिया), विनियम 2014, समय समय पर संशोधित, में उल्लिखित प्रक्रियानुसार अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

(3) निर्धारित धनराशि के भुगतान करने में विफल होने की दशा में, अनुज्ञापी लिखित में 15 दिवस का नोटिस देकर सेवा लाईन व मीटर को हटा कर विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर देगा।

7.2 विद्युत चोरी

(1) अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा 135 के अनुसार विभिन्न खण्डों के अधिकृत अधिकारियों की एक सूची प्रकाशित करेगा, इसको सभी खण्डीय कार्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा तथा ऐसे अधिकारियों को जारी फोटो पहचान पत्र में उनका अधिकृत होना इंगित करेगा।

7.2.1 विद्युत चोरी के लिए मामला दर्ज करने की प्रक्रिया

(1) अधिनियम की धारा 135 के अधीन अधिकृत अधिकारी विद्युत चोरी के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से ऐसे परिसर का तत्काल निरीक्षण संचालित करेगा।

(2) इस प्रकार अधिकृत अधिकारी के नेतृत्व में अनुज्ञापी का निरीक्षण दल अपने साथ अपना फोटो पहचान पत्र ले जाएगा। परिसर में प्रवेश करने से पहले ये पहचान पत्र उपभोक्ता को दिखाये

जाएंगे। अधिकृत अधिकारी के फोटो पहचान पत्र में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा कि अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अनुसार उसे अधिकृत अधिकारी नामित किया गया है।

(3) जांच के दौरान जांच स्थल का निवासी या उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा तथा जांच के दौरान जब्त की गई सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी तथा जिसे स्थल पर रहने वाले व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को सौंपा जायेगा जो सूची पर हस्ताक्षर करेगा।

परन्तु किसी भी घरेलू स्थल या घरेलू परिसर का कोई निरीक्षण, तलाशी तथा जब्ती ऐसे परिसर में सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच उस परिसर के किसी वयस्क पुरूष सदस्य की गैर–मौजूदगी में नहीं की जाएगी।

(4) जहां तक संभव हो निरीक्षण प्रक्रिया की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की जाए तथा साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

(5) प्राधिकृत अधिकारी **अनुलग्नक–XI** के अनुसार, संयोजित भार, मीटर सीलों की स्थिति, मीटर की वर्किंग का विवरण देते हुये एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा नोटिस की गयी कोई अन्य अनियमितता (जैसे मीटर से छेड़छाड, करंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर, ऊर्जा की चोरी के लिए अपनाए गए कृत्रिम साधन) का उल्लेख करेगा।

(6) रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से इंगित होगा कि ऊर्जा की चोरी के तथ्य को संपुष्ट करने का पर्याप्त साक्ष्य पाया गया है या नहीं। ऐसे साक्ष्य का विवरण रिपोर्ट में अभिलिखित किया जाना चाहिए।

(7) रिपोर्ट पर निर्धारण अधिकारी तथा निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उचित रसीद प्राप्त कर इसकी प्रति तत्काल स्थल पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि/अभिकर्ता को दी जाएगी। यदि उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि/अभिकर्ता स्वीकार करने या रसीद देने से इन्कार करता है तो निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति, परिसर के अंदर/बाहर एक प्रमुख स्थान पर चिपका दी जाए। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट पंजीकृत डाक से उपभोक्ता को भेजी जाएगी।

(8) जब तक कि उपभोक्ता के उपभोग पैटर्न की विसंगति की संपुष्टि न हो, केवल मीटर की पहली सील के गायब होने या छेड़छाड़ या कांच की खिड़की के टूटने तथा इस तरह के अन्य साक्ष्य उपलब्ध होने पर, चोरी का लिए कोई मामला दायर नहीं किया जाएगा। हालांकि, बाद में सील के गायब होने, छेड़छाड, कांच की खिड़की के टूटने को ऊर्जा की चोरी के संदिग्ध मामले के रूप में माना जाएगा।

(9) यदि इस बात का पर्याप्त साक्ष्य पाया जाता है जिससे ऊर्जा की प्रत्यक्ष चोरी स्थापित होती हो तो अनुज्ञापी का ऐसा अधिकारी जिसे इस प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत किया गया है या अनुज्ञापी का कोई अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार अधिकृत रैंक से उच्च स्तर का हो, विद्युत की ऐसी चोरी का पता चलने पर, तुरंत विद्युत की आपूर्ति को विच्छेदित कर देगा तथा परिसर से तारों/केबलों, मीटर, सेवा लाईन इत्यादि सहित सभी तात्विक साक्ष्य जब्त कर लेगा

तथा अनुज्ञापी का ऐसा अधिकारी इस तरह के विच्छेदन के चौबीस घंटे के भीतर क्षेत्राधिकार के पुलिस स्टेशन में अपराध की लिखित शिकायत दर्ज करेगा।

(10) अनुज्ञापी उप–विनियम 7.1.1 के क्लॉज (10) जो विद्युत के अनधिकृत उपयोग (यूयूई) से संबंधित है, के अनुसार निर्धारण करेगा तथा उचित रसीद प्राप्त कर उपभोक्ता को प्रेषित करेगा।

(11) अनुज्ञापी, उक्त क्लॉज (10) के अनुसार, निर्धारित राशि या विद्युत प्रभार के जमा या भुगतान करने पर, उपरोक्त क्लॉज (9) में संन्दर्भित शिकायत के दायर होने के पूर्वाग्रह के बिना, इस तरह के जमा या भुगतान के अड़तालीस घंटे के भीतर विद्युत सेवा लाईन से आपूर्ति बहाल करेगा।

7.2.2 संदिग्ध चोरी के मामले में

(1) अधिकृत अधिकारी एक नए मीटर, जिसकी उपयुक्त रेटिंग हो, के माध्यम से आपूर्ति बहाल करेगा। ऐसे मामलों में, अनुज्ञापी परिसर में संयोजित भार की जांच करेगा, छेड़छाड़ किए गए मीटर पर संख्यांकित विशिष्ट सील लगाएगा तथा रिपोर्ट में इसका विवरण अभिलिखित भी करेगा। अधिकृत अधिकारी अपनी रिपोर्ट में परिसर में संदिग्ध चोरी के कारणों को अभिलिखित करेगा। छेड़छाड़ किए गए मीटर को हटा दिया जाएगा तथा प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए, अनुज्ञापी द्वारा व्यवस्थित किए गए टैम्पर प्रूफ विशेष मीटर सीलिंग किट बैग में, पैक किया जाएगा। पुराने तथा नए मीटरों के मीटर विवरण शीट की प्रति, उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को दी जाएगी।

(2) संदिग्ध चोरी के मामले में, यदि उपभोग का पैटर्न पिछले एक वर्ष मेंउचित रूप से एक समान है तथा टैरिफ आदेश में अस्थायी बिलिंग हेतु इंगित मानकीय उपभोग व संयोजित भार के आधार पर निर्धारित उपभोग के 75 प्रतिशत से कम नहीं है तो आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा 3 दिवसों के भीतर उचित रसीद प्राप्त कर उपभोक्ता को इस निर्णय की सूचना दी जाएगी।

(3) यदि पिछले एक वर्ष हेतु उपभोग का पैटर्न, उपरोक्त क्लॉज (2) के अनुसार निर्धारित उपभोग के 75 प्रतिशत से कम है तो उपभोक्ता के विरूद्व चोरी का प्रथम दृष्टया मामला बनेगा। अनुज्ञापी, निरीक्षण के पंद्रह दिनों के भीतर, इस निर्णय पर पहुंचने का पूर्ण विवरण देते हुए उपभोक्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उसके विरूद्व चोरी का मामला दर्ज किया जाए। नोटिस में स्पष्ट रूप से तिथि व समय अंकित किया जाना चाहिए जो कि 7 दिन से कम नहीं होगा तथा उस स्थान का उल्लेख होगा जहां पर जवाब दाखिल किया जाना है। साथ ही जिस व्यक्ति को इसे संबोधित किया जाना है, उसका पदनाम भी उल्लिखित किया जाएगा।

7.2.3 संदिग्ध चोरी के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई

(1) यदि उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है तो उपभोक्ता का उत्तर प्राप्त होने की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर अनुज्ञापी एक व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था करेगा तथा सुनवाई हेतु नोटिस भेजेगा जिसमें स्पष्ट रूप से सुनवाई का समय तथा तिथि का उल्लेख होगा। उपभोक्ता के अनुरोध पर, सुनवाई को भविष्य की तिथि के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है लेकिन यह उपभोक्ता द्वारा आपत्तियां दर्ज करने की तिथि से 10 (दस) दिवसों के बाद का नहीं होगा। यदि नियत तिथि

तथा समय पर उपभोक्ता नोटिस का उत्तर नहीं देता है या उपस्थित होने में विफल रहता है तो अनुज्ञापी, मामले में एक तरफा कार्यवाही कर सकेगा।

(2) अनुज्ञापी, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर उचित रूप से विचार करेगा तथा 3 दिवसों के भीतर, कारण बताते हुए आदेश पारित करेगा कि चोरी का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। कारण बताते हुए दिये गये आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का सारांश, अपने लिखित उत्तर में उपभोक्ता द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण व व्यक्तिगत सुनवाई के समय मौखिक प्रस्तुतिकरण तथा इसके स्वीकार करने या निरस्त करने के कारणों का समावेश होगा।

(3) यदि यह निर्णय होता है कि चोरी का मामला स्थापित नहीं हुआ है तो आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी तथा संयोजन बहाल किया जाएगा।

(4) जहाँ यह स्थापित हो जाता है कि मामला विद्युत चोरी का है, तो अनुज्ञापी का ऐसा अधिकारी जिसे इस प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत किया गया है या अनुज्ञापी का कोई अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार अधिकृत रैंक से उच्च स्तर का हो, विद्युत की ऐसी चोरी का पता चलने पर, तुरंत विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित कर देगा तथा परिसर से तारों/केबलों, मीटर, सर्विस लाईन इत्यादि सहित सभी सामग्री साक्ष्यों को जब्त कर लेगा तथा अनुज्ञापी का ऐसा अधिकारी ऐसे विच्छेदन के चौबीस घंटे के भीतर अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस स्टेशन में इस अपराध के संबंध में लिखित में शिकायत दर्ज करेगा।

(5) अनुज्ञापी, उप–विनियम 7.1.1 के क्लॉज (10) जो विद्युत के अनधिकृत उपयोग (यू.यू.ई) से सम्बंधित है, के अनुसार भी निर्धारण करेगा तथा उचित रसीद के साथ उपभोक्ता को प्रेषित करेगा। उपभोक्ता को इसे उचित रूप से प्राप्त करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर इसका भुगतान करना होगा।

(6) उक्त क्लॉज (5) के अनुसार, निर्धारित राशि या विद्युत प्रभार के जमा या भुगतान करने पर, अनुज्ञापी उपरोक्त क्लॉज (4) में संन्दर्भित शिकायत के दायर होने के पूर्वाग्रह के बिना, इस तरह से जमा या भुगतान के अड़तालीस घंटे के भीतर विद्युत सेवा लाईन से आपूर्ति बहाल करेगा।

(7) निर्धारित की गयी धनराशि तथा संयोजन बहाली/नए संयोजन के लागू प्रभार का भुगतान प्राप्त हो जाने पर अनुज्ञापी, उपभोक्ता का संयोजन पुनः सक्रिय कर सकेगा।

7.3 निर्धारण बिल बनाते समय अनुज्ञापी, मात्र विद्युत के अनधिकृत उपयोग के मामलों में निर्धारण बिल की अवधि हेतु उपभोक्ता द्वारा पहले से ही किए गए भुगतान को समायोजित करेगा। बिल में, जहां इसे जमा किया जाना है, समय, दिन तथा स्थान को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। ऐसे सभी भुगतान मात्र नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक पे ऑर्डर/इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किए जाएंगे। चेक तथा प्रॉमिसरी नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुलग्नक – XI

(संदर्भ विनियम 7.1)

विद्युत चोरी तथा अनधिकृत उपयोग के विषय में निरीक्षण रिपोर्ट

निरीक्षण की तिथि		क्रम संख्या / (पुस्तिका संख्या)	
उपभोक्ता का नाम		खण्ड	
		मंडल / क्षेत्र	
उपयोगकर्ता का नाम		एस.सी. सं०	
पता		पुस्तक सं०	
		भार विवरण	
		अनुबन्धित भार	
		बिलिंग मांग	
		कुल संयोजित भार	
		श्रेणी / टैरिफ कोड	
अनियमितता का प्रकार			

☐ अनधिकृत उपयोग ☐ संदिग्ध चोरी

☐ चोरी

मीटर विवरण	सील व केबल की स्थिति	
मीटर क्रमांक _____ मीटर मेक _____	सी.टी. बॉक्स सील सं० _____	पाया गया _____
मीटर क्रमांक (पेन्टेड/चिह्नित) _____	मीटर बॉक्स सील सं०	पाया गया _____
रीडिंग केडब्ल्यूएच _____	मीटर टर्मिनल सील सं० ____	पाया गया _____

रीडिंग केवीएएच _____	हॉफ सील सं० _____	पाया गया _____
रीडिंग केवीएआरएच _____		
एमडीआई _____		
पावर फैक्टर _____		
आकार _____	परीक्षण उपकरण परिणाम	
प्रकार _____	मीटर का कार्यचालन _____	पाया गया _____
सीटी अनुपात _____	केबल स्थिति _____	पाया गया _____

शंट कैपेसिटर □ _____ की संख्या व _____ रेटिंग व _____ मेक की शंट कैपेसिटर को _____ पावर फैक्टर को बनाए रखने हेतु कार्यचालन क्रम में स्थापित पाया गया है / □ कोई शंट कैपेसिटर स्थापित नहीं पाया गया है। _____ विलंबन के साथ ऊर्जा घटक मापा गया है।

संयोजित भार विवरण
प्रतिष्ठान प्रकार: _____ कार्य के घंटे _____ कार्य की परिस्थिति _____ (कारखाने / दुकान का विशिष्ट प्रकार) सील का विवरण

निरीक्षण दल द्वारा अन्य ऑब्जर्वेशनः	
उपभोक्ता का नाम व हस्ताक्षर	हस्ताक्षर _____ _____ _____ _____ नाम _____ _____ _____ _____ पदनाम _____ _____ _____ _____

अनुलग्नक – XII
(संदर्भ विनियमन 7.1)

चोरी /लघुचोरी के मामलों में ऊर्जा का आंकलन

चोरी / लघुचोरी के मामलों में ऊर्जा का आंकलन निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाएगा:

इकाइयों का आकलन = एल x डी x एच x एफ

जहॉ "एल" का अर्थ भार (संयोजित/अनुबन्धित भार जो भी अधिक हो) से है, जहॉ किलोवाट में के.डब्ल्यू.एच. दर लागू होती है, तथा के.वी.ए. में जहां के.वी.ए.एच. दर लागू होती है।

'डी' प्रति माह कार्य दिवसों की संख्या है, जिसके दौरान चोरी /लघुचोरी का संदेह है तथा नीचे दी गई विभिन्न श्रेणियों के उपयोग हेतु लिया जाएगा:

(ए)	निरंतर उद्योग	30 दिन
(बी)	अनिरंतर उद्योग	25 दिन
(सी)	घरेलू उपयोग	30 दिन
(डी)	कृषि	30 दिन
(ई)	अघरेलू (निरंतर) अर्थात अस्पताल, होटल एवं रेस्तरां, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप	30 दिन
(एफ)	अघरेलू (सामान्य) यानी (ई) के अलावा अन्य	25 दिन

'एच' प्रति दिन आपूर्ति घंटे का उपयोग है, जिसे नीचे दिए गए विभिन्न श्रेणियों के उपयोग हेतु लिया जाएगा:

(ए)	एकल पारी उद्योग (दिन / रात केवल)	10 घण्टे
(बी)	अनिरंतर उद्योग (दिन और रात)	20 घण्टे
(सी)	निरंतर उद्योग	24 घण्टे
(डी)	अघरेलू	20 घण्टे
(ई)	घरेलू	8 घण्टे
(एफ)	कृषि	10 घण्टे

'एफ' लोड फैक्टर है, जिसे नीचे दिए गए विभिन्न श्रेणियों के उपयोग हेतु लिया जाएगा:

(ए)	औद्योगिक	60%
(बी)	अघरेलू	60%
(सी)	घरेलू	40%
(डी)	कृषि	100%
(ई)	प्रत्यक्ष चोरी	100%

घरेलू पानी पंप, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन तथा लघु घरेलू उपकरणों के संचालन हेतु वास्तविक घरेलू उपयोग के मामलों में मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु कार्य के घंटे को 100% लोड फैक्टर पर प्रति दिन एक घंटे से अधिक कार्य करने हेतु नहीं माना जाएगा।

अस्थायी संयोजन के मामले में ऊर्जा का आंकलन

अस्थायी संयोजन के मामले में ऊर्जा की लघुचोरी हेतु मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा:

इकाइयों का आकलन = एल x डी x एच, जहाँ

एल = भार (संयोजित/अनुबन्धित भार जो भी अधिक हो), जहाँ किलोवाट में के.डब्ल्यू.एच. दर लागू होती है, तथा के.वी.ए. में जहां केवीएएच दर लागू होती है।

डी = दिनों की संख्या जिसके लिए आपूर्ति का उपयोग किया जाता है.

एच = 12 घण्टे

संक्षिप्ति

इस कोड में निम्नलिखित संक्षिप्ति का उपयोग किया गया है लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया गया है;

क्रम सं०	संक्षिप्ति	विवरण
1	वी	वोल्ट
2	ए	एम्पियर
3	डब्ल्यू	वाट
4	कै.वी.	किलो वोल्ट
5	के.ए.	किलो एम्पियर
6	के.डब्ल्यू.एच.	किलो वाट घंटा
7	के.वी.ए.	किलो वोल्ट एम्पीयर
8	सी.टी.	करेंट ट्रांसफॉर्मर
9	पी.टी.	संभाव्य ट्रांसफार्मर
10	के.वी.ए.एच	किलो वोल्ट एम्पीयर घंटा
11	के. डब्ल्यू.	किलो वाट
12	के.वी.ए.आर.	किलो वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव

आयोग के आदेश द्वारा,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/506–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।